Aatmaram rivijan sec.50 mplrc

95

# न्यायालय श्रीमान रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

निगरानी–5924/2018 शाजापुर/भू.रा.

प्र.क्र. /2018–19

1–अत्माराम पिता गंगाराम, उम्र–45वर्ष

2–गीताबाई पति भागीरथ,उम्र–55 वर्ष

3–श्याम पिता भागीरथ,उम्र–25 वर्ष

4–नगजीराम पिता भागीरथ, उम्र–28वर्ष

5–सुन्दरबाई पति रतनलाल,उम्र–52वर्ष

समस्त जाति–बलाई, धन्धा–कृषि, निवासी–ग्राम धाराखेड़ी, तहसील व जिला–शाजापुर म.प्र. ...निगरानी कर्ता

............**प्रार्थी**/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

राहुल निवासी धाराखेड़ी.........विपक्षीगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री किशोर कुमार भारद्वाज
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 05.09.2018
अधीक्षक 5.9.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.1959विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील शाजापुर म.प्र.आदेश दिनांक 04/05/2016 को प्रकरण क्र.272/अ12/2015–16

558
5/9/18

माननीय महोदय,

//संक्षिप्त विवरण//

राहुल कुमार पिता नारायणसिंहजाति कुल्मी निवासी धाराखेड़ी द्वारा दिनांक 04/05/2016 को अपने भूमि सर्वे नं. क्रमशः 46/1 रकबा 0.50 है., 59 रकबा0.66 है., 60 रकबा 0.87 है., 62/2 रकबा 0.10 है., 136 रकबा 0.39 है.,143 रकबा 0.94 है. एवं 144 रकबा 0.28 है. का म.प्र.भू.रा.स.1959 की धारा 129 के अंतर्गत प्रस्तुत कर सीमाकंन का निवेदन किया जिसके सम्बन्ध में माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश पारित किया जिसके पालन में दिनांक 06/06/2016 को सीमांकन की कार्यवाही की गई और दिनांक 23/06/2016 को सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय को पैश किया प्रकरण में कोई कार्यवाही शैष नही होने से प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया । तत्पश्चात दिनांक 01/12/2016 को प्रकरण मे पटवारी निधि व्यास ने रिपोर्ट एवं कब्जा रसीद देकर निवेदन किया कि त्रुटिवश कब्जा रसीद में राकेश पिता नारायण लिख दिया है त्रुटि संज्ञान में आते ही राकेश से कब्जा लेकर राहुल को दे दिया है त्रुटि दुरुस्त करने की कृपा करे रिपोर्ट एवं कब्जा रसीद पैश की

3

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-5924/2018/शाजापुर/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26.10.2018 | आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक ०३.०१.१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |